पीठासीन अधिकारी :– सौरभ स्वामी आई..ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 134/2018

1 सुन्दर सिंह सोनी पुत्र श्री टोपन दास सोनी जाति सोनी निवासी मकान नम्बर 176, गली नम्बर 5, गांधी नगर, श्रीगंगानगर।
2 श्रीमती गायत्री सोनी पत्नी श्री सुन्दर सिंह सोनी जाति सोनी निवासी मकान नम्बर 176, गली नम्बर 5, गांधी नगर, श्रीगंगानगर।
3 नरेश सोनी पुत्र श्री सुन्दर सिंह सोनी जाति सोनी निवासी मकान नम्बर 176, गली नम्बर 5, गांधी नगर, श्रीगंगानगर जरिये मुखत्यार आम सुन्दर सिंह सोनी पुत्र श्री टोपन दास सोनी जाति सोनी निवासी मकान नम्बर 176, गली नम्बर 5, गांधी नगर, श्रीगंगानगर।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 श्रीमती हरदर्शन कौर पत्नी स्व. श्री गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी 13 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2 दिपेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी 13 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल मकान नम्बर 33–34, रानी का बाग, नजदीक राजकीय महिला महाविद्यालय, गंगानगर हाउस, श्री अमृतसर साहिब (पंजाब)।
3 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार, श्रीगंगानगर ।

– – प्रतिवादीगण

## दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.ए.

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता वादीगण
2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय दिनांक 05.11.2018
3. पैरोकार राज प्रतिवादी संख्या 3

## –:: निर्णय ::–

दिनांक :– 28.01.2019

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 183 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण मकान नम्बर 176, गली नम्बर 5, गांधी नगर, श्रीगंगानगर में निवास करते हैं। वादीगण का रजिस्टर्ड पता वही है, जो कि व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 6 नियम 14 (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित है तथा वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। वाद पत्र 2 प्रतियों में पेश किया जा रहा है तथा वाद पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र संलग्न है। वादी संख्या 3 नरेश सोनी द्वारा जरिये दस्तावेज मुखत्यारनामा आम दिनांक 06.08.2018 के तहत अपने पिता श्री सुन्दर सिंह सोनी को अपना मुखत्यारे आम मुकरर्र किया हुआ है। उक्त मुखत्यारनामा आम आज दिनांक तक वैध है, किसी न्यायालय कार्यालय अथवा मुखत्यारनामा आम देहिन्दा द्वारा निरस्त नहीं किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 सुन्दर सिंह प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से समस्त कार्यवाही करने के लिए सक्षम है। मुखत्यारनामा आम की चित्रप्रति संलग्न वाद पत्र है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

लगातार 2

वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खाता में चक 13 जैड पटवार हल्का 18 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 44/44 का मुरब्बा नम्बर 21 व 22 की कुल 12.650 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। जिसमें वादी संख्या 1 सुन्दर सिंह के नाम से 1.995 हैक्टर व वादीया संख्या 2 गायत्री सोनी के नाम से 1.995 हैक्टर कृषि भूमि व वादी संख्या 3 नरेश सोनी के नाम से 2.335 हैक्टर कृषि भूमि, इस प्रकार वादीगण तीनों के नाम नाम से कुल 6.325 हैक्टर यानि 25.00 बीघा कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। शेष भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज कागजात माल है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संलग्न वाद–पत्र है।

यह कि वादीगण द्वारा उक्त भूमि जरिये बैयनामा प्रतिवादी संख्या 2 से खरीद की है तथा बैयनामा की दिनांक से उक्त कुल भूमि में से मुरब्बा नम्बर 22 का किला नम्बर 1 ता 25 की 6.325 हैक्टर भूमि का कब्जा प्राप्त किया हुआ है, जिस पर वादीगण काबिज चले आ रहे हैं तथा वादीगण ने अपनी फसल भी उक्त रकबा पर काश्त कर रखी है। यह कि वादीगण अपने हिस्सा के रकबा में सुधार कार्य करवाना चाहते हैं। तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तथा आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग कर व फव्वारा ड्रिप व डिग्गी आदि की सुविधा प्राप्त करके बागवानी आदि करके अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं, मगर राजस्व रिकार्ड में भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज होने रहने से वह सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे तथा मामला लगान अदायगी पानी बारी के समय आदि को लेकर भी हमेशा विवाद बना रहता है, इसलिए वादीगण उक्त वर्णित कब्जानुसार बंटवारा करवाकर राजस्व रिकार्ड में किलावाईज दर्ज करवाने व अलग खाता कायम करवाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादी से कहा हुआ था कि जब भी आप चाहोगे, सहमति से खाता विभाजन करवा कर उक्त रकबा आपके नाम करवा देगें तथा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा कब्जा काश्त के सम्बन्ध में 100/रूपये के स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र भी तहरीर कर हस्ताक्षरित एवं नोटेरी प्रमाणित करवाकर वादीगण को दिया हुआ है, जिसकी चित्रप्रति संलग्न वाद पत्र है।

वादीगण ने कुछ रोज पूर्व प्रतिवादीगण को सहमति से खाता विभाजन करवा कर देने के लिए कहा, पहले तो वह टाल मटोल करते रहे। मगर उन्होने दिनांक 10.08.2018 को सहमति से खाता विभाजन करने से साफ इन्कार कर दिया, यही वाद कारण है।

उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है। तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 3 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है, तथा उसे पक्षकार बनाया गया है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :–

1. चक 13 जैड पटवार हल्का 18 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 44/44 का मुरब्बा नम्बर 21 व 22 की कुल 12.650 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 1 ता 25 (प्रत्येक 0.253) कुल 6.325 हैक्टर कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 सुन्दर सिंह सोनी को 1.995 हैक्टर का, वादिया संख्या 2 श्रीमती गायत्री सोनी को 1.995 हैक्टर का व वादी संख्या 3 नरेश सोनी को 2.335 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तथा इसी अनुसार बंटवारा कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाकर अलग खाता कायम करवाया जावे।
2. अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

लगातार ..... 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सम्मन लेनें से इन्कारी करनें तथा प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलबी करवाये जानें पर भी प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा न्यायालय में असालतन/वकालन उपस्थितनहीं आनें पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पैरोकार राज द्वारा स्टेट की और से जबाब प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वादी संख्या 1 सुन्दरसिंह के 1.595 हैक्टर वादी संख्या 2 गायत्री के 1.995 हैक्टर, एवम् वादी संख्या 3 नरेश सोनी के 2.335 हैक्टर हिस्सा कुल 6.325 हैक्टर भूमि का वादी की मांग के अनुसार खाता अलग कायम किया जाता है, तो स्टेट को कोई एतराज नहीं है।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कायवाही होनें से प्रकरण में कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकीयात कायम नहीं की गई वादी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस की गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन उभयपक्ष विवादीत आराजी में रिकार्डेड खातेदार होनें व पक्षकारान के मध्य अपनें खातेदारी भूमि का विभाजन का विवाद होनें के कारण वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाये जानें पर वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत उभयपक्ष के मध्य उनके हिस्सा एवम् कब्जा के अनुसार मय नक्शा में विभाजन के दौरान विभाजित होनें वाली भूमि में पंहुचनें हेतु रास्ते को दर्शाते हुए वर्तमान जमाबन्दी सहित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 ता 21 को मध्यनजर रखते हुऐ तथा बैक ऋण के संबंध में विभाजन प्रस्ताव भिजवानें हेतु लिखा जानें पर प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा द्वारा अपनें पत्रांक भू.अ./2019/204 दिनांक 21.01.2019 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये

## —:: आदेश ::—

तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के सन्दर्भ में वादीगण के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस वादी के अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति जाहीर नहीं करनें पर तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत उभयपक्ष की खातेदारी भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :—

1. वादी संख्या 1 सुन्दर सिंह सोनी पुत्र श्री टोपन दास सोनी जाति सोनी निवासी मकान नम्बर 176, गली नम्बर 5, गांधी नगर, श्रीगंगानगर की 1.995 हैक्टर, वादी संख्या 2 श्रीमती गायत्री सोनी पत्नी श्री सुन्दर सिंह सोनी जाति सोनी निवासी मकान नम्बर 176, गली नम्बर 5, गांधी नगर, श्रीगंगानगर की 1.995 हैक्टर तथा वादी संख्या 3 नरेश सोनी पुत्र श्री सुन्दर सिंह सोनी जाति सोनी निवासी मकान नम्बर 176, गली नम्बर 5, गांधी नगर, श्रीगंगानगर की 2.335 हैक्टर के हक हिस्सा की भूमि का विवरण :—

| चक नम्बर | मुरब्बा नम्बर | किला नम्बर | कुल भूमि |
|---|---|---|---|
| 13 जैड | 22 | 1 ता 25 सालम | 6.325 हैक्टर |

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी /गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना—अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 28.01.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर